उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

संख्या-04/2019/575/94-स्टा०नि०-2-2019-700(253)/2017

लखनऊ : दिनांक 23 जुलाई, 2019

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा-21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-सयम पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या-2 सन् 1899) की धारा-9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्य पाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से सरकारी अधिसूचना संख्या-04/2018/180/94-स्टा०नि०-2-2018-700(253)/17, दिनांक 12 फरवरी 2018 में निम्नलिखित संशोधन करते है:-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, प्रस्तर-2 के अंत में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाएगा:-

"परन्तु इस अधिसूचना के अधीन छूट नई इकाईयों के साथ-साथ विस्तारीकरण/विविधीकरण के अधीन परियोजनाओं पर भी प्राप्त होगी |''

आज्ञा से,

हिमांशु कुमार
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-04/2019/575/94-स्टा०नि०-2-2019-700(253)/2017, दिनांक 23 जुलाई 2019

प्रतिलिपि हिन्दी तथा अंग्रेजी, अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 23-07-2019 के असाधारण गजट के भाग-4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की सौ प्रतियां स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(लालू)
संयुक्त सचिव।

संख्या-04/2019/575/94-स्टा०नि०-2-2019-700(253)/2017, दिनांक 23 जुलाई 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(2) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) आयुक्त/अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(6) आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद/महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(7) सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
(8) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(9) समस्त उपायुक्त स्टाम्प/उप महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
(10) समस्त सहायक आयुक्त स्टाम्प/सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
(11) औद्योगिक विकास अनुभाग-6 उत्तर प्रदेश शासन।
(12) विधायी अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन।
(13) भाषा अनुभाग-5 उत्तर प्रदेश शासन।
(14) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लालू)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-2

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government Notification No.04/2019/575/94-S.R.-2-2019-700(253)/2017, dated 23 July, 2019.

Notification

Order

No.04/2019/575/94-S.R.-2-2019-700(253)/2017

Lucknow , Dated, 23 July, 2019

In exercise of the powers under clause (a) sub section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to make the following amendment in Government Notification No. 04/2018/180 /94-S.R.-2-2018-700 (253)/ 17 dated 12 February, 2018 from the date of the publication of this notification :-

AMENDMENT

In the aforesaid notification, in para 2 following proviso shall be inserted at the end :-

"Provided that the remit under this notification shall also be available to the projects under expansion/diversification along with the new units."

By order,

Himanshu Kumar
Pramukh Sachiv

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।